बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग

टॉल फ्री नं0– 1800–3456185

मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना अन्तर्गत आर्द्र जलक्षेत्र के विकास की योजना।

चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य सरकार द्वारा आर्द्र जलक्षेत्र के विकास हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना का उद्देश्य कृषि रोड मैप के अनुरूप राज्य में मत्स्य उत्पादन में अभिवृद्धि के लिए मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु आर्द्र भूमि में तालाब विकास कर राज्य के कृषकों को मत्स्य पालन के लिए प्रेरित करना है। योजना के कार्यान्वयन से आर्द्र जलक्षेत्र, जहाँ नदी अथवा वर्षा का पानी फैल जाता है, को विकसित कर कम लागत में मात्स्यिकी पालन हेतु जलक्षेत्र तैयार हो सकेगा। योजना का कार्यान्वयन निजी आर्द्र जलक्षेत्रों में किया जायेगा। इस योजना अन्तर्गत निजी मन, चौर, टाल, ढ़ाब आदि आर्द्र भूमि का भी विकास किया जा सकेगा।

इस योजना में 2'6'' (ढ़ाई फीट) मिट्टी यांत्रिक संसाधन से कटाई कर तालाब का निर्माण किया जायेगा। एक हेक्टेयर के तालाब निर्माण की आकलित लागत ₹ 388000 (₹ तीन लाख अठासी हजार) मात्र होगी तथा इसका 50 प्रतिशत ₹ 1.94 लाख (एक लाख चौरानवे हजार रूपये) अनुदान देय होगा। बैंक ऋण अथवा स्वलागत से लाभूकों द्वारा तालाब का निर्माण होने पर अनुदान देय होगा।

1. **लाभूकों का चयन :–**

i. आवेदक, आवेदन के साथ अपना फोटो, तालाब के जलक्षेत्र का विवरण, भूमिस्वामित्व प्रमाण पत्र/पट्टा की प्रति/तालाब का फोटो तथा स्वहस्ताक्षरित फोटो पहचान पत्र संलग्न कर अपने जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करेंगे।

ii. प्राप्त आवेदन पत्र की जाँच जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा अधीनस्थ क्षेत्रीय पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा की जाएगी तथा जाँच प्रतिवेदन के आधार पर लाभूकों का चयन किया जाएगा। उप मत्स्य निदेशक सम्पूर्ण योजना के वरीय प्रभार में होंगे एवं योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।

iii. सभी वैध आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी तथा वर्ष 2014–15 में जिला के लक्ष्य के अनुरूप आवेदक का चयन इस योजनान्तर्गत किया जाएगा।

iv. स्वलागत से योजना के कार्यान्वयन होने पर मत्स्य पालक विकास अभिकरण के प्रबंध समिति के अनुमोदनोंपरान्त अनुदान का भुगतान लाभूकों को चेक द्वारा किया जाएगा। बैठक आहुत करने में अथवा कोरम पूरा नहीं होने के स्थिति में प्रबंध समिति के अनुमोदन के प्रत्याशा में जिला पदाधिकारी का अनुमोदन लेकर अनुदान का भुगतान किया जा सकेगा।

v. योजनान्तर्गत लाभूक द्वारा अधिक राशि व्यय किये जाने पर भी इस योजनान्तर्गत निर्धारित सीमा तक ही अनुदान देय होगा। कम व्यय किये जाने पर वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत ही अनुदान देय होगा।

vi. अनुदान बैकइंडिड होगा और लाभूक इस आशय का शपथ पत्र देंगे कि संपत्ति(Assest) सृजित होने पर 5 वर्षों तक इसका सवंर्धन कर अपना आर्थिक उन्नति करेंगे।

vii. इस योजना का लाभ प्रथमबार प्रति व्यक्ति/परिवार को केवल पॉच हेक्टेयर जलक्षेत्र तक ही सीमित रहेगा।

viii. आर्द्र जलक्षेत्र के विकास की योजना अब केवल उपर्युक्त वर्णित मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजनान्तर्गत ही कार्यान्वित की जाएगी।

2. किसी व्यक्ति/परिवार को आर्द्र विकास योजनान्तर्गत पूर्व में अनुदान का लाभ प्राप्त हो तो पुनः व्यक्ति/परिवार को अनुदान की अनुमान्यता नहीं होगी।

आवेदन का प्रपत्र

पासपोर्ट साईज का
स्वअभिप्रमाणित फोटो

1. आवेदक का नाम : .....
2. पिता का नाम : .....
3. स्थायी पता

ग्राम : .....

पोस्ट : .....

प्रखंड: .....

पिन : .....

जिला : .....

4. दूरभाष संख्या /मो0नं0: .....
5. जमीन का खाता, खेसरा तथा रकबा (एकड़ में)

(भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र / निबंधित पट्टा संलग्न करें)

6. जमीन का जलक्षेत्र (एकड में) : .....
7. जमीन के लोकेशन का पूर्ण विवरण : .....
8. योजना नाम : **मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना अन्तर्गत आर्द्र जलक्षेत्र के विकास की योजना।**
9. संलग्न कागजात का विवरण : .....
10. आवेदक का फोटो, स्वअभिप्रमाणित फोटो पहचान पत्र, जमीन का फोटो
11. इस आशय का शपथ पत्र की आवेदक द्वारा पूर्व में आर्द्र भूमि विकास योजनान्तर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है।

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त योजना के लिए निर्धारित शर्त्तों का मेरे द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

तिथि.....

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया विवरण सही है तथा भौतिक सत्यापन के उपरान्त मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना अन्तर्गत आर्द्र जलक्षेत्र के विकास की योजना हेतु आवेदक का चयन किया जा सकता है / आवेदक चयन योग्य नहीं है।

मत्स्य प्रसार पदाधिकारी / मत्स्य निरीक्षक / मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर

अपना आवेदन संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को विज्ञापन प्रकाशन के एक पक्ष के भीतर सुनिश्चित करेंगे।

विशेष जानकारी के लिए अपने जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय अथवा निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना से संपर्क करें। विस्तृत जानकारी पशु एवं मत्स्य संसाधन(मत्स्य) विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या 1685 दिनांक 03.06.2014 से प्राप्त की जा सकती है जिसे विभागीय वेब साइट *http:\\ahd.bih.nic.in* पर देखा जा सकता है।

मत्स्य निदेशक, बिहार, पटना।